कार्यालय : हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।

पत्रांक 2996 अभि01(क)/90/2025–26 दिनांक 29 अगस्त, 2025

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन द्वारा शासनादेश संख्या–47/XXVII(7)32/2007 दिनांक 02.04.20218 के अर्न्तगत 5.00 करोड़ तक के कार्य स्थानीय व्यक्तियों/स्थानीय पंजीकृत फर्मों के माध्यम से कराये जाने के निर्देश पूर्व में प्राप्त हुए थे। उक्त संशोधित शासनादेश संख्याः 306433/2025XXVII(9)/02/अधिप्राप्ति/2024 ई0पत्रा0 सं0–76643 दिनांक 13.06.2025 के द्वारा उक्त राशि को संशोधित/परिवर्तन करते हुये उत्तराखण्ड शासन द्वारा 10.00 करोड़ तक के कार्य स्थानीय व्यक्तियों/स्थानीय पंजीकृत फर्मों के माध्यम से कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः इस संबंध में निविदा समिति को निर्देशित किया जाता है कि उक्त शासनादेश का पालन सुनिश्चित करते हुए नये पंजीकरण कराने के लिए बी, सी, डी श्रेणी हेतु मूल निवास/स्थाई निवास प्रमाण पत्र की अनिवार्य रूप से सत्यापित प्रति की पुष्टि करते हुए शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित करें।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभावी होगें।

(अशुंल सिंह)
उपाध्यक्ष

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, एच0आर0डी0ए0/संयुक्त सचिव, रूड़की / लक्सर।
2. मु0वि0अधि0/ अधिशासी अभियन्ता/समस्त सहायक अभियन्ता।
3. समस्त संबंधित कार्मिक / गार्ड फाईल।

(अशुंल सिंह)
उपाध्यक्ष

प्रेषक,

संख्या 306433 / 2025 / XXVII(9) / 02 / अधिप्राप्ति / 2024 / ई0प0सं0 सं0–76643

दिलीप जावलकर,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग–9 देहरादून: दिनांक 13 जून, 2025

विषय:– सरकारी निर्माण कार्यो में स्थानीय ठेकेदारों को प्राथमिकता दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है अधिसूचना संख्या–47 / XXVII(7)32 / 2007, दिनांक 02 अप्रैल, 2018 के माध्यम से उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति प्रोक्योरमेन्ट (संशोधन) नियमावली, 2018 के माध्यम से राज्य सैक्टर के अन्तर्गत प्रदेश के भीतर विभिन्न विभागों द्वारा कराए जा रहे रू0 5.00 करोड तक के निर्माण कार्य स्थानीय व्यक्तियों / स्थानीय पंजीकृत फर्मो के माध्यम से सम्पादित कराये जाने की व्यवस्था की गयी।

2– उक्त परिप्रेक्ष्य में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेन्ट) नियमावली, 2017 को वर्तमान परिदृश्य के अनुरूप संशोधित / परिवर्तित किये जाने के संबंध में मा0 मंत्रिमण्डल से अनुमोदित उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति प्रोक्योरमेन्ट नियमावली, 2025 का आलेख्य निर्गत न किये जाने के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सैक्टर के अन्तर्गत प्रदेश के भीतर विभिन्न विभागों द्वारा कराए जा रहे रू0 10.00 करोड़ तक के निर्माण कार्यो की अधिप्राप्ति, अन्य शर्तो / अर्हताओं के पूर्ण होने की दशा में स्थानीय व्यक्तियों / स्थानीय रूप से पंजीकृत फर्मों (जिनमें स्थानीय व्यक्तियों का अंश 51 प्रतिशत या उससे अधिक हो) के माध्यम से सम्पादित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3– उक्तानुसार किये जा रहे प्राविधान को उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति प्रोक्योरमेन्ट नियमावली 2025 में यथास्थान सम्मिलित कर लिया जायेगा।

भवदीय,

Digitally signed by Dilip Jawalkar
Date: 13-06-2025 14:08:16

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

(रविनाथ रामन)
सचिव
विद्यालयी शिक्षा विभाग
उत्तराखण्ड शासन

(रंजना राजगुरू)
अपर सचिव
विद्यालयी शिक्षा विभाग
उत्तराखण्ड शासन

सं0–306433(1) / 2025 / XXVII(9) / 02 / अधिप्राप्ति / 2024 / तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।